न्यायालय : अति० व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश (समक्ष—प्रतिष्ठा अवस्थी)

व्यवहारवाद कमांक : 152ए / 2015

संस्थित दिनांक : 01.03.2011

फाइलिंग नंबर : 230303001582011

1—देवीसिंह पुत्र प्रानसिंह आयु 70 वर्ष जाति तौमर ठाकुर निवासी ग्राम एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

– वादी

बनाम

1—पप्पू पुत्र जगमोहन जाति तौमर आयु ४० वर्ष निवासी ग्राम एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र० 2—कल्लू आयु ४० वर्ष पुत्र शिवमोहन जाति तौमर ठाकुर 3—बाबू पुत्र रघुवर आयु ७० वर्ष 4—जुगले पुत्र रघुवर आयु ५० वर्ष समस्त जाति तौमर ठाकुर निवासीगण ग्राम एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

5—म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर मण्डल भिण्ड म.प्र. 🛛 🥻

- प्रतिवादीगण

(वादी द्वारा—अधिवक्ता श्री सागरसिंह कंषाना)
(प्रतिवादी कमांक 1 व 2 द्वारा अधिवक्ता श्री अशोक जादौन)
(प्रतिवादी कमांक 3 व 4 द्वारा अधिवक्ता श्री हरीशंकर शुक्ला)
(प्रतिवादी कमांक 5 एकपक्षीय)

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक 11-09-2017 को घोषित)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वार्ड नं0 10 ग्राम एण्डोरी परगना गोहद में स्थित वादग्रस्त जगह जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में हाकिमसिंह की जगह, उत्तर में कालीचरन की जगह एवं दक्षिण में रामस्वरूप धोबी का खेत है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित किया गया है, की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य का भवन जिसकी चौडाई 28 फीट 6 इंच एवं लंबाई 73 फीट है ग्राम एण्डोरी परगना गोहद में स्थित है। वादी के स्वत्व व आधिपत्य की जगह वार्ड नं0 10 में स्थित है जिसमें वादी स्वयं निवास करता है एवं वादी ट्रैक्टर ट्रॉली, कल्टीवेटर, मशीन, थ्रेशर गल्ला इत्यादि इसी भवन में रखता चला आ रहा है। उक्त भवन के पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में हाकिम की जगह जो वर्तमान में निर्भय सिंह पर है उत्तर में कालीचरन की जगह एवं दक्षिण में रामस्वरूप धोबी का खेत है। वादी के भवन के पूर्व दिशा में स्थित दरवाजे के सामने प्रतिवादीगण द्वारा जबरदस्ती बांस बल्ली गाड़कर खरंजे की तरफ से आने वाले रास्ते में भवन एवं खरंजे के मध्य 16 हाथ के मार्ग को अवरूद्ध कर दिया गया है जिससे दिनांक 24.12.10 से वादी का ट्रैक्टर वादी के भवन तक नहीं आ पा रहा है। वादी भवन से खरंजे तक की 16 हाथ की जगह को करीबन 40 वर्ष पूर्व से निर्विध्न रूप से रास्ते के रूप में उपयोग करता चला आ रहा है। परन्तू प्रतिवादीगण द्वारा उक्त 16 हाथ की जगह पर बांस बल्ली गाड़कर जगह को अवरूद्ध कर दिया गया है जिससे वादी का ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा है। वादी का थ्रेसर, कल्टीवेटर, भवन की जगह में अंदर रखा हुआ है। ट्रैक्टर न निकल पाने के कारण थ्रेसिंग नहीं हो पा रही है एवं कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। वादी ने ग्राम पंचायत से विधिवत भवन निर्माण की मंजूरी प्राप्त की है। वादी द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय गोहद के यहां भी दिया गया था जोकि संचालित है जिसमें तहसीलदार गोहद द्वारा यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम आदेश पारित किया गया था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बांस बल्ली गाड़कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है। दिनांक 24.12.10 को प्रतिवादीगण ने वादी को मकान बेचकर चले जाने की धमकी दी थी। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि प्रतिवादी के विरुद्ध यह रथायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के भवन में आने जाने हेत् टैक्टर टॉली ले जाने हेतु रास्ता अवरूद्ध न करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी का पक्का रिहायशी मकान वार्ड नं० ७ में स्थित है जिसमें वादी अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। विवादित भूखण्ड से होकर ग्राम आबादी से मंदिर की तरफ जो रास्ता पगडण्डी के रूप में गया है वह केवल अस्थायी मानवीय रास्ता है जोकि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के सहस्वामित्व के सर्वे कमांक 2572 रकवा 0.04 है0 तथा वादी के भूखण्ड के बीच की मेड़ से होकर गया है। पूर्व दिशा में प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के स्वामित्व का सर्वे कमांक 2572 रकवा 0.04 है0 स्थित है। इसके आधे भाग में प्रतिवादीगण का 50 वर्ष पुराना मकान बना है एवं पश्चिम दिशा में खुली जगह जानवर आदि बांधने के लिए तथा घरेलू निस्तार के लिए डली हुई है। पूर्व दिशा में वादी का कभी कोई निकास नहीं रहा है। वादी जबरन उक्त दिशा में दरवाजा खोलकर प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के स्वत्व एवं आधिपत्य की जगह सर्वे कमांक 2572 में रास्ता कायम करने की कोशिश में है। जबकि प्रतिवादीगण अपने सर्वे क्रमांक की सीमा तक करीब 50 वर्ष पूर्व से जानवरों के खनौते बनाकर जानवरों को बांधते चले आ रहे हैं। उक्त जगह से वादी का कोई संबंध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा खरंजा ग्राम आबादी में कराया गया है। ग्राम आबादी से लगे हुए सर्वे क्रमांक 2573 के बाद कृषि भूमियां हैं जिस पर कोई आम रास्ता नहीं है। वादी का ट्रैक्टर कभी भी कथित रास्ते से नहीं निकला है वादी द्वारा कभी भी उक्त रास्ते का उपयोग टैक्टर टॉली निकालने के लिए नहीं किया गया है। वादी सडक की ओर से फसल काटने के बाद खेतों से ट्रैक्टर ट्रॉली 3

निकालकर लाता है। वादी द्वारा शासकीय भूमि पर गलत रूप से कब्जा करके कमरे का निर्माण कर लिया गया है एवं उक्त वाद के माध्यम से शासकीय भूमि को वैध कराना चाहता है। वादी उक्त विवादित जगह का अतिकामक है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

- प्रतिवादी क्रमांक 03 एवं 04 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर 04. वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी ने लगभग दो वर्ष पूर्व शासकीय भूमि 8–10 फीट चौडे एवं 12 फीट लंबे कमरे का निर्माण कर लिया है। वादी का पुश्तैनी मकान वार्ड नं0 7 ग्राम एण्डोरी में बना हुआ है वहीं पर वादी अपने परिवार सहित निवास करता है एवं टैक्टर कृषि उपकरण भी वहीं रखता है। वादी के कथित मकान के पूर्व दिशा में कोई दरवाजा नहीं है बल्कि उत्तर दिशा में कमरे का दरवाजा है एवं पीछे पीपल के दो पेड़ खड़े हुए हैं वादी के मकान के पूर्व दिशा में वादी का स्वयं खेत है तथा खेत के उत्तर दिशा में प्रतिवादी क्रमांक 2 कल्लू एवं गोविन्द के स्वत्व एवं आधिपत्य का मकान बना हुआ है एवं मकान के सामने कल्लू खुली भूमि है जिस पर कल्लू ने सुरक्षा के लिए मेड़ पर बल्लियां लगा रखी हैं। कल्लू के खेत के पश्चिमी मेड़ से लगा हुआ प्रतिवादी क्रमांक 3 एवं 4 की घूरे की जगह है। विवादित भूखण्ड से होकर मंदिर जाने के लिए केवल पगडण्डी के रूप में अस्थायी रास्ता गया है वहां से टैक्टर नहीं निकल सकता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 की पश्चिम सीमा में बबूल का पेड़ खड़ा था जोकि आंधी में गिर गया है। वादी ने शासकीय भूमि पर छोटा सा कमरा बना लिया है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।
- 05. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न

<u>निष्कर्ष</u>

- 1. क्या वादी वादग्रस्त जगह जिसके पूर्व में आम रास्ता है पश्चिम में हाकिम की जगह है जो कि वर्तमान में निर्भय सिंह पर है, उत्तर में कालीचरन की जगह है व दक्षिण में रामस्वरूप धोबी का खेत है जो कि वार्ड क्0 10 ग्राम एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित है, का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?
- 2. क्या प्रतिवादीगण विवादग्रस्त जगह के संबंध में वादी को अवैध रूप से दखल दे रहे हैं?
- 3. क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है?
- 4. क्या वादी द्वारा वाद का उचित रूप से मूल्यांकन कर उस पर विहित न्यायशुल्क अदा किया गया है?
- सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न क्रमांक-1

- 06. उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी देवी सिह वा0सा01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचित किया गया है कि उसके स्वत्व व आधिपत्य का एक भवन जिसकी चौडाई 28 फीट 6 इंच एवं लंबाई 73 फीट है वार्ड क0 10 ग्राम एण्डोरी में स्थित है। जिसमें वादी निवास करता है। उक्त भवन में वादी ट्रैक्टर, ट्रॉली, कल्टीवेटर, मशीन, थ्रेशर एवं गल्ला रखता चला आ रहा है उक्त भवन के पूर्व में आम रास्ता है जो मंदिर खेतों की और गयाहै पश्चिम में हाकिम का मकान है जो कि निर्भयसिंह पर है उत्तर में कालीचरन की जगह एवं दक्षिण में रामस्वरूप धोबी की जगह स्थित है। वादी के भवन में पूर्व दिशा में स्थित दरवाजे के सामने आम रास्ते पर प्रतिवादीगण द्वारा लाठी के बल पर जबरजस्ती बांस बल्ली गाडकर 16 हाथ के आम रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है जिससे वादी का टैक्टर दिनांक 12.12.10 से वादी के भवन तक नहीं आ पा रहा है। वादी उक्त रास्ते का पचास वर्षों से उपयोग करता चला आ रहा है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में पंचनामा दिनांक 28.01.11 प्र0पी03 नक्शा प्र0पी04 एवं भवन अनुज्ञापत्र प्र0पी05 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।
- 07. प्रतिपरीक्षण के पद क0 9 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित रास्ते पर पहले गड्ढा था एवं गड्ढे को पूर करके उसने कमरा एवं गौडा बनाया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि रामजीलाल के मकान तक रास्ते का खरंजा है उसके आगे उसके खेत तक 12 फीट का रास्ता है। पद क0 12 में उक्त साक्षी का कहना है कि विवादित जमीन का रकवा वह नहीं बता सकता है उसे विवादित जमीन का सर्वे क0 नहीं पता है। पद क0 13 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित जगह के दक्षिण में निर्भय सिंह का खेत है एवं उसके सामने उसके स्वामित्व का सर्वे क0 2571 है तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसके व निर्भय सिंह के खेत के बीच 2 फीट की पगडंडी मुख्य मार्ग तक आने के लिए है। उसके खेत के उत्तर दिशा में दुर्ग सिंह की जगह है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि कुंदन के खेत से लेकर अभिलाख के खेत तक खेती की जमीन है एवं स्पष्ट किया है कि उसी में उसके खेत तक 12 फीट वादी की भूमि है। पद क0 15 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क0 1 एवं 2 के सामने उनके स्वामित्व की जगह डली है।
- 08. वादी साक्षी अरविन्द सिंह वा०सा02 एवं राजपाल सिंह वा०सा03 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 09. प्रतिवादी बाबूसिंह प्र0सा01 द्वारा वादी के अभिवचनों का खंडन करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत कर अभिवचिनत किया है कि वादी ने शासकीय भूमि पर 8—10 फीट चौडे एवं 12 फीट लंबे कमरे का निर्माण कर लिया है। उक्त जगह में कोई भवन नहीं बना है वादी देवीसिंह का पुस्तेनी मकान वार्ड क्0 7 एण्डोरी में बना है वादी वहीं निवास करता है तथा वहीं पर ट्रैक्टर, ट्रौली कृषि उपकरण रखता है। वादी के कमरे का दरवाजा पूर्व दिशा में नहीं है बिल्क उत्तर दिशा में है। कमरे के पीछे 25 साल पुराना पीपल का वृक्ष खडा था तथा बबूल का पेड खडा था जिसे देवीसिंह ने उखाड़ दिया है उत्तर दिशा में कल्लू पप्पू के मकान बने हैं जिसमें वह परिवार सिहत निवास करते हैं मकान के सामने स्थित खुली हुई भूमि में बांस, बल्ली

5

गाडकर मवेशी बांध लिए हैं। कल्लू के खेत की मेड से पश्चिम दिशा में उसका 50—60 साल से घूरा पड़ता रहा है। उक्त जगह पर उसका हर किस्मी कब्जा बर्ताव है। वादी का उक्त जगह पर कोई कब्जा बर्ताव नहीं रहा है। भूखण्ड से होकर मंदिर जाने के लिए केवल पगडंडी है। ट्रैक्टर, ट्रौली जाने का रास्ता नहीं है देवी सिंह ने शासकीय भूमि पर कमरा बना लिया है। देवीसिंह के खेत के पूर्व दिशा में आबादी है। देवीसिंह ने वाडा बनाने की अनुमित पंचायत से ली थी। निर्माण की स्वीकृति दूसरे स्थान की है। न्यायालय को धोखा देने के लिए गलत रूप से पेश की गई है।

- 10. प्रतिपरीक्षण के पद क0 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वार्ड क0 10 में वादी का जो मकान बना है वह पप्पू कल्लू के सामने है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पप्पू के मकान का दरवाजा पश्चिम की ओर है। उक्त साक्षी ने वादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि खरंजे से कल्लू के खेत तक 14 फीट रोड डली है एवं व्यक्त किया है कि 10 फीट रोड है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जगह पर पप्पू कल्लू द्वारा बांस, बल्ली गाडकर रास्ता अवरूद्ध किया गया था वह खोलकर रोड डाल दी है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि खरंजे से देवीसिंह के वार्ड क0 10 के मकान तक ट्रैक्टर, ट्रौली लेकर आ जा सकते हैं। पद क0 4 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दावा रास्ते के बारे में है विवादित जगह पर मिट्टी डल चुकी है लेकिन उसका घूरा जा रहा है एवं व्यक्त किया है कि रास्ता पहले कुल तीन फीट चौडा था। रास्ता 10 फीट चौडा डल चुका है विवादित रास्तें पर बबूल का पेड था उस पर मिट्टी डालकर रास्ता बना दिया गया है उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित रास्ते पर खरोटे, पखाने के रास्ते बनाए गए थे उन्हें बंद करके मिट्टी डालकर रास्ता बना दिया गया है।
- 11. प्रतिवादी साक्षी बहादुर सिंह प्र0सा02 एवं बृजेन्द्र सिंह प्र0सा03 ने भी प्रतिवादी बाबूसिंह प्र0सा01 के समर्थन में साक्ष्य दी है। प्रतिवादी साक्षी बहादुर सिंह प्र0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क0 2 में यह व्यक्त किया है कि खरंजा 10 फीट का है उससे कभी ट्रैक्टर, ट्रौली नहीं निकल सकती है एवं यह भी स्वीकार किया है कि पूर्व में लगे बांस बल्ली कल्लू पप्पू द्वारा हटा लिए गए हैं। बृजेन्द्र सिंह प्र0सा03 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि खरंजे से लेकर कल्लू के खेत तक नवीन रोड डलकर तैयार है जिसकी चौडाई 10 फीट होगी एवं यह भी स्वीकार किया है कि विवादित रास्ते पर लैटिन का गड्ढा बंद करके उस पर मिट्टी डालकर रास्ता बना दिया गया है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बांस बल्ली कल्लू पप्पू द्वारा आम रास्ते से हटाकर अतिक्रमण हटा लिया गया है एवं यह भी स्वीकार किया है कि वार्ड क0 10 के मकान तक देवीसिंह के ट्रैक्टर, ट्रौली निकलकर जा सकते हैं।
- 12. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादी के भवन के पूर्व दिशा में विवादित रास्ता है जिस पर प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण कर लिया है। उक्त तथ्य को प्रतिवादी बाबूसिंह प्र0सा01, बहादुर सिंह प्र0सा02 एवं बृजेन्द्र सिंह प्र0सा03 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्वीकार किया गया है जबकि तर्क के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादी ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके कमरा बना लिया है । वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है।
- 13. प्रस्तुत प्रकरण में वादी देवीसिंह वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वार्ड क0 10 ग्राम एण्डोरी में वादी के स्वत्व व आधिपत्य का भवन जिसकी

6

चौडाई 28 फीट 6 इंच एवं लंबाई 73 फीट स्थित है उक्त भवन में भी वादी का ट्रैक्टर, ट्रौली, कल्टीवेटर, मशीन, थ्रेशर एवं गल्ला रखा जाता है। वादी के भवन के पूर्व दिशा में 16 फीट का आम रास्ता है जिसमें प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती बांस बल्ली गाडकर अतिक्रमण कर लिया है जबिक प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी के वार्ड क्0 10 के भवन के पूर्व दिशा में कोई दरवाजा नहीं है एवं वहां पर पगडण्डी के रूप में अस्थायी रास्ता गया है वहां से टैक्टर नहीं निकल सकता है।

- इस प्रकार वादी देवीसिंह वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वार्ड क010 में स्थित उसके मकान के पूर्व दिशा में स्थित 16 फीट के रास्ते पर प्रतिवादीगण द्वारा बांस बल्ली डालकर अतिक्रमण कर लिया गया है। वादी साक्षी अरविन्द सिंह वा०सा2 एवं राजपाल वा०सा03 ने भी वादी के अभिवचनों का समर्थन किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे में भी यह स्वीकार किया है कि वादी के भवन के पूर्व दिशा में ग्राम आबादी से होकर मंदिर जाने के लिए पगडंडी के रूप में अस्थायी रास्ता गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी बाबुसिंह प्रा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि वार्ड क0 10 में कल्लू पप्पू के मकान के सामने वादी का मकान बना है तथा यह भी व्यक्त किया है कि खरंजे से कल्लू के खेत तक 10 फीट चौडी रोड है तथा यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जगह पर कल्लू पप्पू द्वारा बांस बल्ली गाडकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया था जिसे खोल दिया गया है एवं रोड डाल दी गई है। एवं यह भी स्वीकार किया है कि खरंजे से देवीसिंह के वार्ड क0 10 के मकान तक ट्रैक्टर, ट्रौली लेकर आ—जा सकते है। प्रतिवादी साक्षी बहादुर सिंह प्रा0सा02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि कल्लू पप्पू द्वारा बांस बल्ली हटा लिए गए हैं प्रतिवादी साक्षी बुजेन्द्र सिंह प्र0सा03 द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि खरंजे से लेकर कल्लू के खेत तक 10 फीट चौड़ी रोड डाल दी गई है जिससे ट्रैक्टर, ट्रौली निकल सकते हैं।
- 15. इस प्रकार प्रतिवादी बाबूसिंह प्र0सा01, बहादुर सिंह प्र0सा02 एवं बृजेन्द्र सिंह प्र0सा03 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि विवादित रास्ता 10 फीट चौडा है जिस पर कल्लू पृप्पू ने बांस बल्ली लगाकर अतिक्रमण कर लिया था प्रतिवादी बाबूसिंह प्र0सा01 एवं बृजेन्द्र सिंह प्र0सा03 द्व रा यह भी स्वीकार किया गया है कि विवादित रास्ते से ट्रैक्टर, ट्रौली निकल सकते हैं।
- 16. यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी देवीसिंह वा0सा01 द्वारा यह अभिवचिनत किया गया है कि उसके मकान के पूर्व दिशा में उसके दरवाजे के सामने 16 हाथ का रास्ता स्थित है। यद्यपि प्रतिवादी द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि वादी द्वारा वार्ड क0 10 में स्थित मकान शासकीय जगह पर अतिक्रमण करके बनाया गया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मकान विवादित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा यह भी अभिवचिनत किया गया है कि उसके द्वारा वार्ड क0 10 में स्थित मकान निर्माण की ग्राम पंचायत एण्डोरी से विधिवत मंजूरी ली गई थी एवं वादी द्वारा उक्त संबंध में प्र0पी05 का अनुज्ञापत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि वादी को ग्राम पंचायत एण्डोरी द्वारा वार्ड क0 10 में 28 फीट 6 इंच चौडी एवं 73 फीट लंबी जगह पर मकान निर्माण की अनुमित प्रदान की गई थी। उक्त अनुज्ञापत्र से यह भी दर्शित है कि वादी के उक्त भवन के पूर्व

दिशा में वादी के दरवाजे के सामने आम रास्ता स्थित था। यद्यपि प्रतिवादीगण द्व ारा यह अभिवचनित किया गया है कि उक्त भवन के पूर्व दिशा में वादी का दरवाजा नहीं है परंतु वादी द्वारा जो प्र0पी05 का भवन अनुज्ञापत्र पेश किया गया है उसमें वादी के भवन के पूर्व दिशा में दरवाजा होना दर्शित है। सारवान रूप से वादी द्व ारा यह अभिवचनित किया गयाहै कि वादी के भवन के पूर्व दिशा में स्थित रास्ते पर प्रतिवादीगण द्वारा बांस बल्ली गाडकर अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे खरंजे से वादी के भवन तक ट्रैक्टर, ट्रौली नहीं आ पा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने अभिवचनों में स्पष्ट रूप से यह इंकार नहीं किया गया है कि वादी के भवन के पूर्व दिशा में कोई आम रास्ता नहीं है बल्कि यह अभिवचनित किया गया है कि वादीगण के भवन के पूर्व दिशा में पगडंडी के रूप में अस्थाई रास्ता है इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचनों में भी वादी के भवन के पूर्व दिशा में रास्ता होना स्वीकार किया गया है यद्यपि प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचनों में यह व्यक्त किया गया है कि उक्त रास्ते से ट्रैक्टर, ट्रौली नहीं निकल सकते हैं परंत् प्रतिवादी बाबूसिंह प्र0सा01 एवं बृजेन्द्रसिंह प्र0सा03 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि खरंजे से कल्लू के खेत तक 10 फीट चौडी रोड है एवं 🛮 प्रितिवादीगण द्वारा ही अपने जवाबदावा के साथ जो मानचित्र प्रस्तुत किए गए है उनमें वादी के भवन के सामने प्रतिवादी क0 1 व 2 पप्पू एवं कल्लू का मकान दर्शित है एवं प्रतिवादी बाबूसिंह प्र0सा01 तथा प्रतिवादी साक्षी बहाद्र सिंह प्र0सा02 एवं बुजेन्द्र सिंह प्र0सा03 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि खरंजे से कल्लू के खेत तक 10 फीट चौडी रोड डल चुकी है। चुंकि प्रतिवादीगण के ही मानचित्र के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क0 1 व 2 का मकान आमने-सामने होना दर्शित है। अतः प्रतिवादी बाब्सिंह प्र0सा01 एवं प्रतिवादी साक्षी बहादुर सिंह प्र0सा02 एवं बुजेन्द्र सिंह प्र0सा03 के उक्त कथनों से यही प्रकट होता है कि वादी के मकान के पूर्व दिशा में 10 फीट चौडा सार्वजनिक रास्ता अस्तित्व में है जिससे ट्रैक्टर, ट्रौली निकल सकते

17. जहां तक वादग्रस्त रास्ते पर वादी के स्वत्व का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वादी द्वारा स्वत्वघोषणा नहीं चाही गई है ऐसी स्थित में स्वत्व पर विचार किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त जगह से वह आवागमन करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा बांस बल्ली लगाकर उसके आवागमन में अवसंध उत्पन्न किया गया है। साररूप में वादी द्वारा वादग्रस्त जगह पर निर्विध्न रूप से आवागमन करने की सहायता चाही गई है। उपर वर्णित विवेचना से यह प्रमाणित है कि वार्ड क0 10 में स्थित वादी के भवन के पूर्व दिशा में 10 फीट चौडा सार्वजनिक रास्ता अस्तित्व में है जिससे होकर वादी आवागमन करता था एवं वादी के ट्रैक्टर, ट्रौली भी निकलते चले आ रहे हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण तदानुसार किया गया।

वादप्रश्न क0 2

18. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित रास्ते पर बांस बल्ली लगाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है जिससे वादी का ट्रैक्टर वादी के मकान तक नहीं आ पा रहा है। उक्त

संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी बाबूसिंह प्र0सा01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त जगह पर कल्लू पप्पू ने बांस बल्ली गाडकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया था जिसे खोलकर रोड डाल दी गई है। प्रतिवादी साक्षी बृजेन्द्रसिंह प्र0सा03 ने भी यह स्वीकार किया है कि कल्लू पप्पू द्वारा बांस बल्ली हटाकर आम रास्ते से अतिक्रमण हटा लिया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी बाबूसिंह प्र0सा01 एवं प्रतिवादी साक्षी बृजेन्द्र सिंह प्र0सा03 के कथनों से ही यह दर्शित है कि प्रतिवादी क0 1 एवं 2 कल्लू एवं पप्पू द्वारा विवादित रास्ते पर बांस बल्ली गाडकर अतिक्रमण कर लिया गया था जिससे वादी का आवागमन अवरुद्ध हो रहा था।

19. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह प्रमाणित है कि वार्ड क0 10 में स्थित वादी के भवन के पूर्व दिशा में 10 फीट चौडा सार्वजनिक रास्ता अस्तित्व में है जिससे होकर ट्रैक्टर, ट्रौली निकल सकते हैं एवं यह भी प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त रास्ते पर बांस बल्ली गाडकर अतिक्रमण किया गया है जिससे वादी का आवागमन बाधित हुआ है। अतः यह भी प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त जगह पर अतिक्रमण कर वादी के आवागमन में बाधा उत्पन्न की गई है। ऐसी स्थिति में वादी स्थायी निषधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

वादप्रश्न क0 3

20. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी द्वारा अवधिब्राह्य वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तीयोग्य है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं वादी द्वारा वादपत्र में वादकारण दिनांक 24.12.10 को उत्पन्न होना वर्णित कियागया है एवं वादी द्वारा यह वाद दिनांक 28.02.11 को प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार वादी द्वारा वादी कारण उत्पन्न होने के 3 वर्ष की अवधि के अन्दर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात विहित समयावधि के अंदर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद परिसीमा विधि से वाधित नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

वाद प्रश्न कमांक-4

- 21. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया हैं कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त जगह का मूल्यांकन गलत किया गया है एवं कम न्यायशुल्क अदा किया गया है जबकि वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त जगह का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।
- 22. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं वादी द्वारा वादग्रस्त जगह का मूल्यांकन आठ सौ रूपये कर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु सौ रूपये न्यायशुल्क अदा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी ने वादग्रस्त जगह का मूल्यांकन सही नहीं किया है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7 (4) (डी) के अनुसार "व्यादेश अभिप्राप्त करने के वादों में वादी इप्सित अनुतोष की रकम का कथन करेगा।" इस प्रकार उक्त प्रावधान

<u>र सहायता एवं व्यय</u>

- समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः प्रस्तुत वाद वादी के पक्ष में निम्नानुसार जयपत्रित किया जाता है:-
 - प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह वार्ड क0 10 ग्राम एण्डोरी में स्थित वादी के भवन के पूर्व दिशा में स्थित रास्ते पर अतिक्रमण ना तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी से करावें एवं उक्त रास्ते से वादी के आवागमन में बाधा कारित न करें।
- वाद का सम्पूर्ण व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जायेगा।
- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हों देय

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान – गोहद

दिनांक - 11-09-2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

्रर टाईप किया : सही ∕--(प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)